तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 217/2024 अनवान करीमखां व अन्य बनाम राज्य सरकार
	के खिलाफ है। वादग्रस्त आराजी का रकबा बहुत बड़ा है, जिसमें सें 100 बीघा भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। कंपनी का वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का खातेदारी अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदन आवश्यक पक्षकार नहीं होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी में अपील में बतौर रेस्पोडेंट पक्षकार संयोजित किये जाने का निवेदन किया। उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रार्थी को अपीलाधीन विवादित राजकीय भूमि खसरा नं. 280/200 सहित अन्य राजकीय भूमिया आवंटित की जाकर मौके पर कब्जा सुपुर्द किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन भूमि कें संबंध में किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाता है तो आवेदक के हित प्रभावित होने स्वाभाविक है। लिहाजा आवेदक मामले में आवश्यक, हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार होने से न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है आवेदक ललित मेहता मार्फत श्री महावीरसिंह मेहता, निवासी– 62 हीरानगर, वैशालीनगर, अजमेर रोड़, जयपुर अधिकृत अधिकारी/आममुख्तरधारी एन.टी.पी.सी., नई दिल्ली को मामले में बतौर रेस्पोडेंट पक्षकार संख्या दो संयोजित किया जाता है। अपीलांट के अधिवक्ता संशोधित अपील शीर्षक पेश करे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर पत्रावली आईंदा दिनांक 10.03.2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
10/3/25	पत्रा. पेश। वकलाय उप.। अधि. अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अपील अपीलान्ट जरिए विड्राल खारिज करने बाबत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधि. अपी. ने अर्ज किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है अतः अपील जरिए विड्राल खारिज की जावे। तदुपरान्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली जरिए विड्राल खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर